न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री नमित मेहता, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 35/2021, जीसीएमएस नम्बर :: 2021/166

प्रार्थीगण :–
1. जोगाराम पुत्र नेनाजी, जाति देवासी
2. पुनाराम पुत्र अमराराम, जाति चौधरी, निवासीगण डायलाना कलां, तहसील देसूरी, जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–
1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र पप्पूराम, जाति सरगरा, निवासी डायलाना कलां, तहसील देसूरी, जिला पाली (राज.)
2. ग्राम पंचायत डायलाना कलां जरिये सरपंच

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :– प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित
अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री चेतन कुमार चौहान

–:: नि र्ण य ::–
दिनांक :– 29.11.2022

अधिवक्ता प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत डायलाना कलां द्वारा आदेश दिनांक 09.11.2017, मिसल संख्या 340 की पालना में अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 38 दिनांक 09.11.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रार्थीगण की निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वक्त बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि जैर निगरानी पट्टा तत्कालीन सरपंच नारायणलाल द्वारा अपने सगे भाई पप्पूराम के पुत्र के पक्ष में खाली भू–खण्ड का नियम 157 के तहत् जारी किया गया है, जिसके तहत् पुराने निवासगृह को विनियमितिकरण किया जा सकता, पट्टा जारी करने का प्रावधान नहीं है। अतः जैर निगरानी पट्टा काबिले खारिज है। नियम 47 राजस्थान पंचायती राज नियम अनुसार सरपंच ना तो अपने परिजनों के हक में किसी प्रकार के लाभ का कोई कार्य कर सकता है न ही इससे संबंधित किसी कार्यवाही में भाग ले सकता जबकि जैर निगरानी आदेश तत्कालीन सरपंच नारायणलाल ने अपने सगे भाई के पुत्र के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी किया, जो काबिले खारिज है। जैर निगरानी पट्टे में वर्णित मिसल की प्रमाणित प्रति मांगने पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 08.07.2021 को प्रमाण पत्र जारी कर उक्त मिसल ग्राम पंचायत में अनुपलब्ध होना बताया। जैर निगरानी आदेश व पट्टे को जारी करने से पूर्व नियम 140 से 160 तक किसी भी नियम की पालना नहीं की गई और सारी संबंधित कार्यवाही एक ही दिन में सम्पन्न की गई। उक्त प्रकरण में ना तो मिसल दर्ज की गई, ना किसी प्रकार का प्रस्ताव लिया गया, ना मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों की नियुक्ति की गई व ना ही दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य ली गई है। अतः जैर निगरानी पट्टा निरस्तनीय है। जैर निगरानी पट्टा पुश्तैनी मकान मानते हुए जारी किया गया है जबकि उपरोक्त भूमि खाली भू–खण्ड के रूप में ग्राम पंचायत की संपत्ति है तथा सड़क सीमा में मुख्य सड़क पर स्थित है, जिसे ग्राम पंचायत नीलामी में भी विक्रय नहीं कर सकती है। उक्त भू–खण्ड पर कभी भी अप्रार्थी संख्या 01 या उसके परिजनों का स्वामित्व नहीं रहा।

पंचायत निगरानी :: 36/2021, जीसीएमएस नम्बर :: 2021/167

प्रार्थीगण :–
1. जोगाराम पुत्र नेनाजी, जाति देवासी
2. पुनाराम पुत्र अमराराम, जाति चौधरी निवासीगण डायलाना कलां, तहसील देसूरी जिला पाली

बनाम अप्रार्थीगण :–
1. भंवरलाल पुत्र वालाराम, जाति सरगरा, निवासी डायलाना कलां, तहसील देसूरी, जिला पाली
2. ग्राम पंचायत डायलाना कलां जरिये सरपंच

जिला कलक्टर, पाली

अधिवक्ता प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत डायलाना कलां द्वारा आदेश दिनांक 09.11.2019, मिसल संख्या 316 की पालना में अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 24 दिनांक 09.11.2019 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रार्थीगण की निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वक्त बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि जैर निगरानी पट्टा तत्कालीन सरपंच नारायणलाल द्वारा अपने सगे भाई भंवरलाल के पक्ष में खाली भू-खण्ड का नियम 157 के तहत् जारी किया गया है, जिसके तहत् पुराने निवासगृह को विनियमितिकरण किया जा सकता, पट्टा जारी करने का प्रावधान नहीं है। अतः जैर निगरानी पट्टा काबिले खारिज है। नियम 47 राजस्थान पंचायती राज नियम अनुसार सरपंच ना तो अपने परिजनों के हक में किसी प्रकार के लाभ का कोई कार्य कर सकता है न ही इससे संबंधित किसी कार्यवाही में भाग ले सकता जबकि जैर निगरानी आदेश तत्कालीन सरपंच नारायणलाल ने अपने सगे भाई के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी किया, जो काबिले खारिज है। जैर निगरानी पट्टे में वर्णित मिसल की प्रमाणित प्रति मांगने पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 08.07.2021 को प्रमाण पत्र जारी कर उक्त मिसल ग्राम पंचायत में अनुपलब्ध होना बताया। जैर निगरानी आदेश व पट्टे को जारी करने से पूर्व नियम 140 से 160 तक किसी भी नियम की पालना नहीं की गई और सारी संबंधित कार्यवाही एक ही दिन में सम्पन्न की गई। उक्त प्रकरण में ना तो मिसल दर्ज की गई, ना किसी प्रकार का प्रस्ताव लिया गया, ना मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों की नियुक्ति की गई व ना ही दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य ली गई है।प्रस्ताव पारित करने हेतु आपत्ति नोटिस नियम 148 के अनुसार 30 दिन का दिया जाता है जो मात्र सात दिवस का ही जारी किया गया। अतः जैर निगरानी पट्टा निरस्तनीय है। जैर निगरानी पट्टा पुश्तैनी मकान मानते हुए जारी किया गया है जबकि उपरोक्त भूमि खाली भू-खण्ड के रूप में ग्राम पंचायत की संपत्ति है तथा सड़क सीमा में मुख्य सड़क पर स्थित है जो पंचायत नियम 161 के अनुसार ग्रामीण सड़क एवं अन्य जिला सड़कों की मध्य रेखा से 50 फीट के अन्दर आने वाली भूमि को विक्रय करने का ग्राम पंचायत को विधिक रूप से कोई अधिकार नहीं है। जैर निगरानी पट्टा रू 200 में अर्थात् पुश्तैनी मकान मानते हुए जारी किया गया है जबकि मुख्य सड़क पर स्थित भूमि का केवल वाणिज्यिक उपयोग ही संभव है। अतः जैर निगरानी पट्टा निरस्तनीय है। जैर निगरानी पट्टा निष्पादन की दिनांक 09.11.2019 पट्टे में दर्ज है जबकि जारी दिनांक 24.12.2019 को होना बताया है। पट्टा की भूमि विक्रय का प्रस्ताव दिनांक 05.12.2019 का है तो उससे पहले पट्टा निष्पादित कैसे हो सकता है? जैर आराजी जब दिनांक 05.12.2019 प्रस्ताव के अनुसार विक्रय की जाती है तो दिनांक 05.12.2019 से पहले विक्रय राशि 26.11.2019 को जमा करा पाना संभव नहीं है। अतः जैर निगरानी पट्टा काबिले खारिज है।अप्रार्थी संख्या 01 या उसके परिजनों का स्वामित्व नहीं रहा। प्रस्ताव पारित करने पर दर्ज मिशल प्रिण्टेड प्रारूप में तैयार की गई जो निरस्तनीय है। दर्ज मिशल में कई कॉलम खाली छोड़े गये है। मौका निरीक्षण प्रपत्र में किसी भी सदस्य के हस्ताक्षर नहीं है। जैर निगरानी पट्टा जारी करने में ना कोई प्रस्ताव पारित किया गया ना ही पंचायत की कोई बैठक बुलाई गई।

पंचायत निगरानी :: 38 / 2021, जीसीएमएस नम्बर :: 2021 / 169

प्रार्थीगण :-

1. **जोगाराम पुत्र नेनाजी, जाति देवासी**
2. **पुनाराम पुत्र अमराराम, जाति चौधरी, निवासीगण डायलाना कलां, तहसील देसूरी, जिला पाली**

बनाम अप्रार्थीगण :-

1. **पप्पूराम पुत्र वालारामजी, जाति सरगरा, निवासी डायलाना कलां, तहसील देसूरी, जिला पाली (राज.)**
2. **ग्राम पंचायत डायलाना कलां जरिये सरपंच**

अधिवक्ता प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत डायलाना कलां द्वारा आदेश दिनांक 11.09.2019, मिसल संख्या 294 / 11.12.2017 की पालना में अप्रार्थी के पक्ष

जिला कलेक्टर, पाली

में जारी पट्टा संख्या 12 दिनांक 11.09.2019 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रार्थीगण की निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वक्त बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि जैर निगरानी पट्टा तत्कालीन सरपंच नारायणलाल द्वारा अपने सगे भाई पप्पूराम के पक्ष में खाली भू–खण्ड का नियम 157 के तहत् जारी किया गया है, जिसके तहत् पुराने निवासगृह को विनियमितिकरण किया जा सकता, पट्टा जारी करने का प्रावधान नहीं है। अतः जैर निगरानी पट्टा काबिले खारिज है। नियम 47 राजस्थान पंचायती राज नियम अनुसार सरपंच ना तो अपने परिजनों के हक में किसी प्रकार के लाभ का कोई कार्य कर सकता है न ही इससे संबंधित किसी कार्यवाही में भाग ले सकता जबकि जैर निगरानी आदेश तत्कालीन सरपंच नारायणलाल ने अपने सगे भाई के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी किया, जो काबिले खारिज है। जैर निगरानी पट्टे में वर्णित मिसल की प्रमाणित प्रति मांगने पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 08.07.2021 को प्रमाण पत्र जारी कर उक्त मिसल ग्राम पंचायत में अनुपलब्ध होना बताया। जैर निगरानी आदेश व पट्टे को जारी करने से पूर्व नियम 140 से 160 तक किसी भी नियम की पालना नहीं की गई और सारी संबंधित कार्यवाही एक ही दिन में सम्पन्न की गई। उक्त प्रकरण में ना तो मिसल दर्ज की गई, ना किसी प्रकार का प्रस्ताव लिया गया, ना मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों की नियुक्ति की गई व ना ही दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य ली गई है।प्रस्ताव पारित करने हेतु आपत्ति नोटिस नियम 148 के अनुसार 30 दिन का दिया जाता है जो मात्र सात दिवस का ही जारी किया गया। अतः जैर निगरानी पट्टा निरस्तनीय है। जैर निगरानी पट्टा पुश्तैनी मकान मानते हुए जारी किया गया है जबकि उपरोक्त भूमि खाली भू–खण्ड के रूप में ग्राम पंचायत की संपत्ति है तथा सड़क सीमा में मुख्य सड़क पर स्थित है जो पंचायत नियम 161 के अनुसार ग्रामीण सड़क एवं अन्य जिला सड़कों की मध्य रेखा से 50 फीट के अन्दर आने वाली भूमि को विक्रय करने का ग्राम पंचायत को विधिक रूप से कोई अधिकार नहीं है। जैर आराजी पर कभी भी अप्रार्थी संख्या 01 या उसके परिजनों का स्वामित्व नहीं रहा। प्रस्ताव पारित करने पर दर्ज मिशल प्रिण्टेड प्रारूप में तैयार की गई जो निरस्तनीय है। दर्ज मिशल में कई कॉलम खाली छोड़े गये है। मौका निरीक्षण प्रपत्र में किसी भी सदस्य के हस्ताक्षर नहीं है। जैर निगरानी पट्टा जारी करने में ना कोई प्रस्ताव पारित किया गया ना ही पंचायत की कोई बैठक बुलाई गई।

पंचायत निगरानी :: 39/2021, जीसीएमएस नम्बर :: 2021/170

प्रार्थीगण :–

1. **जोगाराम पुत्र नेनाजी, जाति देवासी**
2. **पुनाराम पुत्र अमराराम, जाति चौधरी, निवासीगण डायलाना कलां, तहसील देसूरी, जिला पाली**

बनाम अप्रार्थीगण :–

1. **कंचन पत्नी भंवरलाल, जाति सरगरा, निवासी डायलाना कलां, तहसील देसूरी, जिला पाली (राज.)**
2. **ग्राम पंचायत डायलाना कलां जरिये सरपंच**

अधिवक्ता प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत डायलाना कलां द्वारा आदेश दिनांक 05.09.2018, मिसल संख्या 205 की पालना में अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 41 दिनांक 05.09.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रार्थीगण की निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

वक्त बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि जैर निगरानी पट्टा तत्कालीन सरपंच नारायणलाल द्वारा अपने सगे भाई भंवरलाल की पत्नी के पक्ष में खाली भू–खण्ड का नियम 157 के तहत् जारी किया गया है, जिसके तहत् पुराने निवासगृह को विनियमितिकरण किया जा सकता, पट्टा जारी करने का प्रावधान नहीं है। अतः जैर निगरानी पट्टा काबिले खारिज है। नियम 47 राजस्थान पंचायती राज नियम अनुसार सरपंच ना तो अपने परिजनों के हक में किसी प्रकार के लाभ का कोई कार्य कर सकता है न ही इससे संबंधित किसी कार्यवाही में भाग ले सकता जबकि जैर निगरानी आदेश तत्कालीन सरपंच नारायणलाल ने अपने सगे भाई भंवरलाल की पत्नी के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी किया, जो काबिले खारिज है। जैर निगरानी पट्टे में वर्णित मिसल की प्रमाणित प्रति मांगने

जिला कलक्टर, पाली

पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 08.07.2021 को प्रमाण पत्र जारी कर उक्त मिसल ग्राम पंचायत में अनुपलब्ध होना बताया। जैर निगरानी आदेश व पट्टे को जारी करने से पूर्व नियम 140 से 160 तक किसी भी नियम की पालना नहीं की गई और सारी संबंधित कार्यवाही एक ही दिन में सम्पन्न की गई। उक्त प्रकरण में ना तो मिसल दर्ज की गई, ना किसी प्रकार का प्रस्ताव लिया गया, ना मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों की नियुक्ति की गई व ना ही दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य ली गई है।प्रस्ताव पारित करने हेतु आपत्ति नोटिस नियम 148 के अनुसार 30 दिन का दिया जाता है जो मात्र सात दिवस का ही जारी किया गया। अतः जैर निगरानी पट्टा निरस्तनीय है। जैर निगरानी पट्टा पुश्तैनी मकान मानते हुए जारी किया गया है जबकि उपरोक्त भूमि खाली भू–खण्ड के रूप में ग्राम पंचायत की संपत्ति है। इस भूमि को विक्रय करने का ग्राम पंचायत को विधिक रूप से कोई अधिकार नहीं है।

इस संदर्भ में वकील प्रार्थी द्वारा संयुक्त रूप से न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये जो निम्न है :– 1984WLN (UC) 175, 2009 DNJ 982, 2018 DNJ 497, 2003 RRT136 जिसमें सरपंच अपने परिजन, भाई, माता, भाई के पुत्र व पत्नी के नाम से पट्टे जारी नहीं कर सकता है जिसमें उसका हित दर्शित होता है। दृष्टान्त 2019 DNJ 570, 2012 RRT 1265, 2017 DNJ 668, 2017 DNJ 730 जिसमें नियम 157 के तहत केवल पुराने व पुश्तैनी आवासीय मकानों के ही पट्टे जारी किये जा सकते है भू–खण्ड के नहीं व दृष्टान्त 1984 RLW 528, 2013 RRT 350 के अनुसार रास्ते की भूमि का पट्टा नहीं दिया जा सकता है।उक्त सभी पट्टे सरपंच के निकट रिश्तेदारों के नाम जारी हुए जो काबिले खारिज है।

वकील अप्रार्थीगण ने संयुक्त रूप से प्रस्तुत अपनी लिखित बहस में वकील प्रार्थीगण द्वारा की गई बहस का खंडन करते हुए निवेदन किया कि उक्त निगरानियां पेश करने से पूर्व श्रीमान के समक्ष एक शिकायत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें ग्राम पंचायत डायलाना कलां के निर्माण कार्यों की जाँच कराने बाबत् निवेदन किया। जिस पर श्रीमान के कार्यालय के पत्रांक 712 दिनांक 24.10.2019 द्वारा विकास अधिकारी, देसूरी को जाँच बाबत् प्रेषित किया गया, जिसके जवाब में विकास अधिकारी ने पत्रांक दिनांक 08.07.2022 द्वारा अवगत कराया कि ग्राम पंचायत डायलाना कलां के एक कमेटी द्वारा वर्ष 2015 से वर्ष 2020 तक जारी सभी पट्टों की जाँच करवाई गई। जिसमें जाँच कमेटी द्वारा अवगत करवायागया कि वर्ष 2015 से वर्ष 2020 तक जारी पट्टों में से एक भी पट्टा अवैध नहीं है। इसके अतिरिक्त परिवादीगण व ग्राम पंचायत के निवासीगण के स्वतंत्र गवाहों के बयान लिये गये जिससे पूर्ण स्पष्ट होता है कि उक्त अवधि में जारी एक भी पट्टा खारिज योग्य नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा आधारहीन निगरानियां प्रस्तुत की गई जो काबिले खारिज है।

बहस उभयपक्ष सुनी जाकर उस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक गहनता से अवलोकन किया गया।वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस के संलग्न विकास अधिकारी की जाँच रिपोर्ट में वर्णितानुसार सरपंच के भाइयों, भाई के पुत्र, पत्नी व सरपंच की माता के नाम पट्टे जारी होना बताया है,जिसमें जैर निगरानी पट्टा जारी करने में ग्राम पचांयत द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में जारी पट्टे को खारिज किये जाने के संबंध में निम्न बिन्दु उठाये गये :–

1. निकट संबंधियों को बिना प्रक्रिया का पालन किये हुए एवं कूटरचित तरीके से नियम 157(1) के उल्लंघन में पट्टे जारी किये गये है।
2. जैर निगरानी पट्टा जारी करने में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां रखी गई है।

उपरोक्त दोनों बिन्दुओं के संदर्भ में यह है कि उक्त चारों प्रकरणों में जैर निगरानी पट्टे नियम 157(1) के तहत वर्ष 2018 व 2019 में तत्कालीन सरपंच द्वारा अपने निकट संबंधियों को जारी करना पाया जाता है परन्तु मात्र 2–3 वर्ष पूर्व जारी किये गये पट्टों का रेकर्ड ग्राम पंचायत द्वारा अपने पास अनुपलब्ध बताया गया है।अतः उक्त निगरानियों में यह स्पष्ट होता है कि तत्कालीन सरपंच द्वारा नियम 157(1) में अपने निकट रिश्तेदारों को पट्टे जारी किये है, जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण–पत्र के आधार पर जैर निगरानी पट्टों से संबंधितरेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होना गंभीर संशय उत्पन्न होता है। यह स्पष्ट होता है कि तत्कालीन सरपंच द्वारा वर्ष 2019 में जो सरपंच के कार्यकाल समाप्ति से

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

3–4 माह पूर्व अल्प अन्तराल में अपने निकट रिश्तेदारों को काफी संख्या में पट्टे जारी किये गये तथा ग्राम पंचायत द्वारा मात्र 02 वर्ष पूर्व जारी किये गये उक्त पट्टों का रेकर्ड/मिसल अनुपलब्ध बताई गई है जो गंभीर अनियमितता का संशय उत्पन्न करती है। यहां उल्लेखनीय है कि तत्कालीन सरपंच/ग्राम पंचायत द्वारा इसी प्रकार के अन्य 04 प्रकरण (प्रकरण संख्या 32/2021 बअनवान जोगाराम बनाम बंशीलाल वगैरह, 33/2021 बअनवान जोगाराम बनाम जीवी देवी वगैरह, 34/2021 बअनवान जोगाराम बनाम महिपाल वगैरह, 37/2021 बअनवान जोगाराम बनाम पप्पूराम वगैरह) में अपने निकट संबंधियों को पट्टे जारी किये गए (जिनकी मिसलें उपलब्ध थी) जिनके परीक्षण में गंभीर अनियमितताएं पाई गई, उन पट्टों को भी इस न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है।

उपर्युक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उक्त जैर निगरानी पट्टे जारी करने में ग्राम पंचायत द्वारा अनियमितता बरती गई हो। अतः उपरोक्त पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 आंशिक स्वीकार किया जाकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, पाली को इस निर्देश के साथ प्रति–प्रेषित किया जाता है कि वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल गठित कर दो माह में उक्त जैर निगरानी पट्टों के संबंध में विस्तृत्त जाँच कराये जिनमें यदि नियमों का उल्लंघन एवं प्रक्रियात्मक कमियां पायी जावे तो पुनः अविलम्ब प्रकरण बनाकर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करे। जैर निगरानी पट्टों से संबंधित आराजी पर जाँच पूर्ण होने तक रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 29.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)